इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 19.03.2026

➢ **संवेदनशील प्रकरण में इटावा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।**

➢ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में **थाना सैफई** पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

संक्षिप्त विवरण:-

अवगत कराना है कि थाना सैफई पर दिनांक 19.03.2026 को वादी मुकदमा डॉ० अरुण कुमार मिश्रा (HOD), मानसिक रोग विभाग, पी०जी०आई० सैफई, जनपद इटावा की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि एक महिला उम्र करीब 38 वर्ष जो दिनांक 14.06.2025 से मानसिक रोग विभाग में भर्ती थी एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण संवाद करने में असमर्थ है, के संबंध में दिनांक 17.03.2026 को चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उसके गर्भवती होने की जानकारी प्राप्त हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच की गई, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग में कार्यरत एक आउटसोर्स सफाई कर्मी द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया।

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 32/2026 धारा 64(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। **थाना सैफई पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रविन्द्र पुत्र कन्हैया लाल निवासी लखना थाना बकेवर जनपद इटावा।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0स0 32/2026 धारा 64 (2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा।

पुलिस टीम:- प्र0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह राठी थाना सैफई मय टीम।